

मानवाधिकार संगठन, कितना औचित्य ?

बजरंगलाल

सम्पूर्ण विश्व में प्रत्येक मनुष्य की तीन प्रकार की भूमिकाएँ हो सकती हैं। 1. व्यक्ति 2. नागरिक 3. मानव। तीनों भूमिकाएँ बिल्कुल पृथक पृथक भी होती हैं और जुड़ो हुई भी। सृष्टि पर निवास कर रहा प्रत्येक जीवित मनुष्य व्यक्ति तो है ही चाहे उसे नागरिक अधिकार प्राप्त हों या न हो चाहे उसमें मानवता के गुण हा या नहीं एक अच्छा आदमी भी व्यक्ति है और अपराधी भी। किसी के व्यक्ति के रूप में जीवित रहने का अधिकार कुछ विशेष और असामान्य स्थिति में ही छीना जा सकता है सामान्यतया नहीं किन्तु नागरिक की परिभाषा कुछ भिन्न होती है। नागरिक किसी स्थापित व्यवस्था के नियम कानूनों से बंधा होता है। उसे व्यक्ति के अधिकारों से हटकर कुछ विशेष अधिकार कुछ शता पर उपलब्ध होते हैं। किसी व्यक्ति के नागरिक अधिकार व्यवस्था वापस ले सकती है या कटौती कर सकती है। कोई व्यक्ति भी अपने नागरिक अधिकार वापस देकर किसी अन्य व्यवस्था की नागरिकता स्वीकार कर सकता है इस पालन करे व्यक्ति का तीसरा स्वरूप मानव या मानवता का है व्यक्ति का यह तीसरा ऐसा स्वरूप है जिसमें व्यक्ति स्व प्रेरणा से ऐसे कार्य करता है जिनके लिये न तो वह प्रतिबंधित है न ही बाध्य। यही कार्य उसके मानवीय गुण माने जाते हैं।

राष्ट्रों की स्थिति कुछ भिन्न प्रकार की है। अब तक दुनियाँ में कोई विश्व व्यवस्था नहीं बनी है जो राष्ट्रों की आन्तरिक गतिविधियों पर नियंत्रण में आशिक ही सफल है अन्यथा अब तक की व्यवस्था उसके प्राकृतिक अधिकारों में उच्चश्रृंखलता पूर्वक कटौती नहीं कर सकती किन्तु विश्व व्यवस्था के अभाव का कारण राष्ट्रों ने स्वयं को ऐसा अधिकारों संपन्न घोषित कर दिया है कि वह व्यक्ति के अधिकारों में कभी कितनी भी कटौती कर सकता है। यह आज मानव समाज के समक्ष सबसे बड़ी समस्या है कि राष्ट्रवाद मानववाद पर अधिकार जमाये बैठा है किन्तु मानववाद बिल्कुल बेवस और लाचार है। दुनिया में तीन प्रकार की व्यवस्थाएँ काम कर रही हैं। 1. तानाशाही 2. वामपंथी 3. प्रजातांत्रिक। तानाशाही व्यवस्था में एक व्यक्ति सर्वाधिकार सम्पन्न होता है तथा अन्य किसी भी व्यक्ति के पास नागरिक अधिकार तो होते हैं किन्तु प्राकृतिक या नैसर्गिक अधिकार नहीं होते। वामपंथी व्यवस्था तानाशाही का एक सुधरा हुआ स्वरूप है जिसमें तानाशाही व्यक्ति की न होकर व्यक्ति समूह की होती है प्रजातंत्र इस सब में अच्छी व्यवस्था मानी जाती है। जिसमें व्यक्ति को सामान्यता प्राकृतिक अधिकार प्राप्त तथा सुरक्षित होते हैं। प्रजातांत्रिक देश सदा ही तानाशाही या वामपंथी व्यवस्था को अमानवीय मानते रहे हैं किन्तु दुनिया के प्रत्येक राष्ट्र का अपनी आन्तरिक व्यवस्था की पूर्ण स्वतंत्रता हाने से ये देश ऐसे तानाशाह या वामपंथी देशों की आन्तरिक व्यवस्था में कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकते थे। अतः ऐसे देशों की आन्तरिक अमानवीय गतिविधियों को आधार बनाकर उन्हें दुनिया में बदनाम करने के उद्देश्य से पश्चिमी देशों में मानवाधिकार का ताना बाना बुना और अपने खर्चे के बल पर पूरी दुनिया में मानवाधिकार उल्लंघन की निगरानी और प्रचार का काम करते थे। ये पश्चिमी राष्ट्र दुनिया भर में फैले ऐसे संगठनों को भरपूर आर्थिक सहायता देते थे और इसके बदले में ये संगठन साम्यवादी देशों और कभी कभी तानाशाह देशों के अपने नागरिकों पर किये जाने वाले अत्याचारों का खूब प्रचार करते थे वामपंथियों को इन मानवाधिकार संगठन के प्रचार से बहुत परेशानी और बदनामी हुआ करती थी क्योंकि ये मानवाधिकार संगठन कभी और किसी भी स्थिति में न्याय अन्याय की समीक्षा नहीं करते थे न ही ये कभी अन्याय के विरुद्ध राज्य की मदद करते थे इनका तो सिर्फ एक ही काम था व्यक्ति के विरुद्ध राज्य के अन्याय और अत्याचार का विरोध करना। चूँकि प्रजातांत्रिक देशों ऐसी स्थिति प्रायः नहीं होती थी और साम्यवादी देशों में यह आम बात थी अतः प्रजातांत्रिक देश विशेषकर पश्चिम को इस काम में बहुत मजा आता था।

वामपंथियों ने इससे निपटने का एक नया तरीका खोज निकाला ये लोग धीरे धीरे ऐसे संगठनों में प्रवेश करने लगे। पश्चिम के देशों में तो ये कम प्रवेश किये लेकिन अन्य देशों में ये बड़ी संख्या में मानवाधिकार संगठनों से घुस गये और भारत में तो इनका मानवाधिकार संगठनों पर एक सत्र कब्जा हो गया। ये लोग धीरे धीरे प्रजातांत्रिक देशों में राज्य द्वारा किये जाने वाले उल्लंघन को उजागर करने लगे। मिया की जूती और मिया का सर वही कहावत चरितार्थ हुई पश्चिम के प्रजातांत्रिक देशों के धन के बल पर ये प्रजातांत्रिक देशों की ही खुलकर आलोचना भी करने लगे और पोल भी खोलने लगे। इराक युद्ध में इनके प्रयासों का व्यापक असर हुआ। कई जगह अमेरिका आदि देशों को परेशानिया उठानी भी पड़ो और शर्मिन्दगी भी किन्तु अमेरिका आदि देश इस संबंध में कुछ नहीं कर सके चूँकि अपने ही बनाये नियम कानून का पालन उनकी मजबूरी भी थी और कर्तव्य भी।

भारत में भी मानवाधिकार संगठनों का लगभग वही स्वरूप है अधिकांश को विदेशी धन प्राप्त होता है किन्तु उसमें वामपंथी विचार वालों का वर्चस्व है। ये लोग कभी वामपंथी राज्यों की सरकारों की खोजबीन नहीं करते। ये कभी इस्लामिक अत्याचारों की भी टीका टिप्पणी नहीं करते। ये कभी आतंकवादी गतिविधियों के विरुद्ध प्रशासन की सहायता नहीं करते। क्योंकि इनका घोषित उद्देश्य है राज्य द्वारा किये गये मानवाधिकार उल्लंघन की घटनाओं को उजागर करना। अन्य घटनाएँ इनके उद्देश्यों से बिल्कुल बाहर हैं। गुजरात में गोधरा की रत्न जलाने की घटना की इन्होंने कभी निष्पक्ष जांच नहीं की क्योंकि वह दो सम्प्रदायों का मामला था किन्तु गुजरात नरसंहार में इन्होंने सारी सीमाएँ तोड़कर भी सक्रियता दिखाई क्योंकि वह अत्याचार राज्य प्रायोजित भी था और मानवाधिकार संगठनों के विरोधी राज्यों का भी था। इशरत जहाँ के मामले को भी उछालने का बहुत प्रयास हुआ क्योंकि गुजरात की सरकार ने वहाँ चार आतंकियों को कानून विरुद्ध तरीके से मार डाला था पप्पू यादव के जेल कानून उल्लंघन में इन्हें कोई गलत कार्य नहीं दिखा क्योंकि वहाँ राज्य प्रायोजित अत्याचार न होकर राज्य प्रायोजित मदद थी फिर पप्पू यादव कोई भाजपाई या शिव सैनिक तो था नहीं कि मानवाधिकार संगठन पहल करते।

कोई आतंकवादी किसी निर्दोष व्यक्ति के चाहे काट कर दस टुकड़े कर दे किन्तु वह मानवाधिकार उल्लंघन की अनिवाय शर्त यह रखी गई कि उसमें अत्याचार करने वाला पक्ष राज्य अवश्य हो तथा यदि राज्य भी वामपंथी विचारों का न हो तो और भी अच्छा है। मेरे विचार में मानवाधिकार की यह अवधारणा दोषपूर्ण है घातक है।

मैं मानता हूँ कि पश्चिम के देशों ने बहुत चालाकी से कुछ उद्देश्यों के लिए मानवाधिकार संगठन खड़े किये थे उसके उद्देश्यों के लिए मानवाधिकार संगठन खड़े किये थे उसके उद्देश्य पूरे भी हुए किन्तु अब वे संगठन उसे ही कठघरे में खड़ा कर रहे हैं तो वे लोग तिलमिलाते हैं। भारत तो बेमतलब इस जंजाल में उलझ गया है। भारतीय प्रजातंत्र को न पश्चिमी देशों की नकल करनी है न साम्यवादी देशों की किन्तु भारत अनावश्यक रूप से पश्चिमी चकाचौंध में पडकर मानवाधिकार की रट लगाने लगा है जिसका परिणाम हुआ कि भारत में व्यवस्था लगातार अविश्वसनीय होती जा रही है। पुलिस और सेना की आलोचना एक फैशन बन गया है।

मेरे लिखने का यह आशय नहीं है कि राज्य द्वारा प्रायोजित मानवाधिकार उल्लंघन का विरोध न किया जाय। मैं ऐसे विरोध का पक्षधर हूँ किन्तु मैं इस बात का पक्षधर नहीं हूँ कि मानवाधिकार संरक्षण में नाम पर कुछ विदेशी संस्थाओं की सहायता ली जाय। उनकी नकल की जाये अथवा मस्लिम आतंकवाद का अप्रत्यक्ष समर्थन करके सिर्फ एक वर्ग तक ही अपने विरोध को सीमित किया जावे। मानवाधिकार शब्द एक अत्यन्त ही पवित्र भावनाआ से परिपूर्ण अर्थ वाला शब्द है। इसे व्यवसायिक राजनैतिक या साम्प्रदायिक विचारों से कलुषित होने से बचना हम आप सबका कर्तव्य है।

समीक्षा ज्ञानतत्व अंक चौरासी

विषय – मानवाधिकार आन्दोलन कितना मानवीय? कितना व्यवसाय? अंक चौरासी के उपरोक्त शीर्ष स्तम्भ लेख के संबध में बडो मात्रा में पत्र मिले हैं जिसमें से कुछ का संक्षिप्त यहाँ दे रहा हूँ

(1) श्री दूर्गा प्रसाद आर्य टीकमगढ मध्यप्रदेश,

आपने मानवाधिकार संगठनों के विषयों में लिखा है कि कुछ को विदेशी धन मिलना संभावित है। जब मानवाधिकार संगठनों को सरकारी मान्यता तथा अधिकार प्राप्त है तथा उसमें उच्च स्तरीय तथा स्थापित न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है तो यह गुप्त धन प्राप्ति कैसे संभव है।

(2) श्री हरि प्रसाद अग्रवाल अध्यक्ष छत्तीसगढ सर्वोदय मंडल सतीबाजार रायपुर समीक्षा अंक चौरासी में अपने मानवाधिकार संगठनों की कार्यप्रणाली को गुजरात से जोडकर आलोचना की मुझे बहुत दुख हुआ। आपका चिन्तन करुणामयी न होकर साम्प्रदायिक सोच का लगता है आप इस्लाम को जार जबरदस्ती वाला धर्म मानते हैं यह आपके और खास कर सर्वोदय से जुड व्यक्ति के लिये उचित नहीं।

(3) श्री विजय सिंह बलवान जटपरा बुलन्दशहर उत्तरप्रदेश, अंक बयासी से चौरासी तक आपने बहुत ही तर्क पूर्ण ढंग से मानवाधिकार के ठेकेदारों की पोल खोली है उनका नाराज होना स्वाभाविक है। फांसी की सजा पुलिस द्वारा किसी अपराधी को बिना न्यायालय में ले गये ही हत्या और भीड द्वारा किसी अपराधी को बिना पुलिस और बिना न्यायालय में ही प्रस्तुत किये हत्या को आपने जिस तरह एक कडो में पिरोकर उच्चश्रृंखलता बनाम व्यवस्था की बहस छेडो है उसने उच्चश्रृंखलता समर्थकों के मुँह बन्द कर दिये हैं। किसी भी मानवाधिकार के ठेकेदार के पास इसका उत्तर नहीं है। पर उत्तर देना नहीं। भारत की यह बिडम्बना ही है कि गम्भीर विचार मंथन के स्थान पर मात्र हो हल्ला करके औपचारिकता पूरी करने का ढोंग किया जाता है। आपने रामानुजगंज छोडकर अच्छा किया क्योंकि प्रयोग पूरा होने के बाद वहाँ अपनी उर्जा खर्च करना ठीक नहीं था क्या आप इस आन्दोलन मे अन्य संगठनों को भी जोडगे या अपने तरीके से ही चलने की योजना है। यदि सत्ता ने आपसे सहयोग नहीं किया तब क्या करेंगे। इन प्रश्नों का समाधान करें।

(4) श्री कृष्ण चन्द्र गोस्वामी श्री निकुंज बी 90 जवाहर नगर भरतपुर राजस्थान

प्रश्न – ज्ञान तत्व पढता हूँ। अनेक नये विचार मिलते हैं। मानवाधिकारवादी और को काम करने के लिये धन और प्रेरणा कहाँ से मिलती है धन दाताओं का उद्देश्य क्या है तथा भारत के लोग इस जाल में क्यों फस रहे हैं। इन बातों को थोडा और स्पष्ट करें।

(5) श्री महेन्द्र जोशी दिव्य प्रकाशन। गोपाल नगर अमृतसर 143001 समीक्षा ज्ञान तत्व अंक चौरासी प्राप्त तरह सहमत हूँ। ये संगठन एक प्रकार से आतंकवादियों एवं अपराधी तत्वों के मानवाधिकारों की तो चिन्ता करते हैं। किन्तु शान्ति प्रिय लोगों के विरुद्ध इन अपराधियों द्वारा किये गये। मानवाधिकार हनन की चर्चा तक नहीं करते।

गुजरात के नरेन्द्र मोदी ने जो किया वह भले ही गोधरा की प्रतिक्रिया ही क्यों न हा किन्तु समर्थन योग्य नहीं है। मैं मोदी जी क इस कृत्य का घोर विरोधी हूँ तथा मेरी अब तक की जानकारी के अनुसार आपका भी सोच यही है। माननीय अटल जी भी ऐसी ही सोच व्यक्त कर चुके हैं।

ठाकुर जगपाल सिंह जी की चुनाव सुधारों की सोच की अपेक्षा आपकी राजनैतिक उच्चश्रृंखलता पर नियंत्रण के प्रयास को मैं अधिक उपयुक्त और सार्थक मानता हूँ। चुनाव सुधारों से आशिक ही परिणाम प्राप्त होंगे मैं आपके उत्तर से सहमत हूँ।

6. श्री राजाराम गुर्जर टोंक राजस्थान

समीक्षा – मानवाधिकार संगठनों के विषय में प्रश्न खड़ा करके आपने साहस का काम किया है। मानवाधिकार संरक्षण के नाम पर ये लोग अपनी दुकानदारी चला रहे हैं। किसी नेता या अपराधी के कानूनी अधिकारों की ये जितनी चिन्ता करते हैं उतनी कभी भी सामान्य व्यक्ति के न्यायिक अधिकारों की नहीं करते। राजस्थान के हजारों के अन्तर्गत काम कर रहे शिक्षा कर्मी बेचारे कितने परेशान हैं। इस ओर उनका कोई ध्यान नहीं है।

उत्तर— मानवाधिकार आयोग और मानवाधिकार संगठन बिल्कुल पृथक पृथक है। मानवाधिकार आयोग संवैधानिक व्यवस्था है और संगठन बिल्कुल निजी। अतः मेरा लेख संगठनों के संबंध में है। दूसरी बात यह है कि मानवाधिकार आयोग भी समस्याएँ सलझाता कम है उलझाता ज्यादा है। मेरे विचार में वर्तमान समय में व्यवस्था टूट रही है। इस समय व्यवस्था को ठीक और मजबूर करने की जरूरत है किन्तु व्यवस्था कमजोर हो रही है और मानवाधिकार संगठन व्यवस्था का कमजोर करने में सहायक हो रहे हैं। इस सम्बन्ध में एक लेख पृथक से जायगा। संभवतः अंक नवासी में

श्री हरि प्रसाद जी को मेरे लेख से कष्ट हुआ। वे मेरे बहुत सम्मानित हैं। उन्हें दुख पहुँचने से मुझे और अधिक दुख होता है। वे दयालु हैं करुणामय हैं। त्याग के प्रतीक हैं मैंने पाया कि वर्तमान समय में बढ़ रही समस्याएँ इन सदगुणों से बढ़ रही हैं हरि प्रसाद जी के समान लोगों के अथक प्रयासों के बाद भारत की जो तस्वीर बनी है उस तस्वीर को बदलना आवश्यक है हम अब यह नहीं कर सकते कि हमारी दया त्याग और करुणा के लिये दूसरों को प्रोत्साहित करते रहे। अतः हम लोगों ने बहुत विचार करके तय किया है कि हम वर्तमान परिस्थितियों के अनुसार अपनी सोच में फेर बदल करगे तथा न्याय और सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देगे। अतः मेरी यह मजबूरी है कि मैं सत्य ही लिखूँ भले ही हमारे कुछ बुजुर्गों को कष्ट ही क्यों न हो।

हरि प्रसाद जी ने मुझ पर साम्प्रदायिक होने का आरोप लगाया यह अत्यन्त दुःखद है। उन्हें इस तरह मुझे गाली देने से बचना चाहिये था वे मेरे सम्मानित बुजुर्ग हैं। यदि मैंने एक लेख लिखा जो उनकी सोच के विपरीत है तो वे लेख का उत्तर देने या मेरे सोच बदलने के प्रयास की जगह मुझे साम्प्रदायिक कह दे यह गांधीवादो कहता है दया, त्याग और करुणा का अवतार घोषित करता हो वह अपने साथियों के चिन्तन पर ऐसा बन्धन लगावे यह उचित नहीं। मैं चाहता हूँ कि यदि आप लोग भारत की समस्याओं के समाधान में विफल रहे हैं तो नये विचार मंथन और निष्कर्ष निकालने की प्रक्रिया को तानाशाहों से दबाने की प्रवृत्ति से बचें तो अच्छा होगा।

मानवाधिकार संरक्षण के संबंध में इसी अंक में एक विस्तृत लेख और जा रहा है। इस लेख के बाद इस विषय की समीक्षा करना अधिक उपयुक्त होगा। अतः हम इस विषय की समीक्षा बाद में और विचार आने के बाद करेंगे।

प्रश्नोत्तर

(1) श्री कृष्ण देव जी चतुर्वेदी 522 पंचशील नगर भोपाल 462003

प्रश्न – सम्पूर्ण भारत में आपके प्रयास की चर्चा चल रही है। आपका प्रयोग भी सफल रहा है। साथियों की संख्या भी बढ़ रही है। किन्तु बिना किसी संवैधानिक कान्ति के आने की राह नहीं दिखती आप अपन विचार लिखें।

उत्तर – अभी हम अपने विचारों का एक छोटा सा अंश एक करोड़ में एक आदमी तक ही पहुँचा पाये हैं आगे ऐसे मित्रों की तलाश है। जो विचार मंथन प्रक्रिया को आगे बढ़ा सके। संवैधानिक कान्ति मार्ग नहीं है। यह तो अन्तिम परिणाम है जो लक्ष्य तक ले जायेगा। अभी तो हमारा मार्ग है ज्ञान तत्व के ग्राहकों या पाठकों में विस्तार देश के विभिन्न क्षेत्रों में वैचारिक मंथन शुरू कराना त्रिसूत्रीय संविधान संशोधन अभियान आदि अभी हम इतना बढ़ें तो आगे की सोचेंगे।

(2) श्री चन्द्रभूषण जी, शान्ति निलयम कटारी हिल रोड गया बिहार

सुझाव – ज्ञान तत्व अत्यन्त गंभीर विचार मंथन का माध्यम है यह स्वयं सिद्ध है आप वास्तव में कुछ करना चाहते हैं। किन्तु मुझे लगता है कि आपको जो कार्य कठिन दिखता है उसे आप किनारे करके आगे बढ़ जाते हैं। आप भ्रष्टाचार गुण्डागर्दा अपराध आदि का समाधान न करके व्यवस्था परिवर्तन की ओर खिसक गये इससे बहुत नुकसान हो सकता है क्योंकि ये सब चीजें ही व्यवस्था को कमजोर करती हैं इनसे सम्पूर्ण व्यवस्था दोष पूर्ण हो जाती है। जन आंदोलन का विकल्प भी हमारे समक्ष खुला है। अपनी राय व्यक्त करें।

उत्तर – आपने जो समस्याएँ बताई हैं वे हमारी खोजी हुई ग्यारह समस्याओं के अंग हैं अर्थात् हम इन सबको प्राथमिक समस्या मान रहे हैं। आप इनका समाधान सीधे समाज द्वारा करना चाहते हैं और मैं समाज निर्मित व्यवस्था द्वारा हमारे देश में एक संवैधानिक व्यवस्था चल रही है हम अपनी सारी ताकत लगाकर दस प्रतिशत चरित्र निर्माण करते हैं और व्यवस्था बीस प्रतिशत चरित्र पतन की ओर समाज को ले जाती है। क्या व्यवस्था पर अंकुश लगाये बिना चरित्र पतन रोका जा सकता है? आप चरित्र निर्माण में और शक्ति लगाने की बात करते हैं और वे व्यवस्था परिवर्तन की बात कहता हूँ। लक्ष्य दोनों का एक है किन्तु मार्ग भिन्न है। आप कम से कम लक्ष्य को तो ठीक समझ रहे हैं कि भ्रष्टाचार अपराध गुण्डागर्दी हमारी प्रमुख समस्याएँ हैं। मुझ तो हंसी आती है जब हमारे बहुत से लोग विदेशी साबुन विदेशी पेय पर्यावरण प्रदूषण बढ़ती आबादी शराब बाल श्रम आदि को ही सबसे बड़ों समस्या मानकर उनके खिलाफ आन्दोलन को ही जन आन्दोलन मान लेते हैं। उनके समक्ष अपहरण मिलावट जालसाजी उतनी बड़ों समस्या नहीं जितनी पर्यावरण प्रदूषण और

विदेशी शीतल पेय। कौन समझाये ऐसे जन आन्दोलन के गुमराह मित्रों को। हमारे देश में अभी विदेशी आन्दोलनों का संकट आया हुआ है हमारे देश में कुछ लोग विदेशी से धन लेकर उनके इशारे पर यहाँ नई नई समस्याओं को आगे बढ़ाते हैं और उनके समाधान के लिये आन्दोलन खड़ा करते हैं। साम्यवादी देशों की शह पर भूख शिक्षित बेरोजगारी सामाजिक असमानता, आर्थिक असमानता को प्राथमिक पंक्ति की समस्याओं में लाकर वर्ग संघर्ष का उसका मार्ग बताया जाता है तथा वर्ग संघर्ष के लिए आन्दोलनों की पृष्ठभूमि तैयार की जाती है। इनकी शह पर श्रम शोषण के तीन सिद्धान्त 1. कृत्रिम उर्जा मूल्य नियंत्रण 2. न्यूनतम श्रम मूल्य में प्रशासनिक वृद्धि तथा 3. शिक्षित बेरोजगारी दूर करने के प्रयत्न पर पूरी सक्रियता रखी जाती है। इसी तरह पूँजोवादी देशों की शह पर तथा उनसे धन ले लेकर पर्यावरण प्रदूषण, मानवाधिकार, बालश्रम, आदिवासी हरिजन उत्पीड़न, बढ़ती आबादी, अशिक्षा, पानी का संकट आदि कम प्राथमिकता वाली भावनात्मक समस्याओं को आगे लाकर उनके समाधान के लिये आन्दोलन प्रायोजित होते हैं। ये दोनों ही प्रयत्न विदेशी षडयंत्र हैं। हमारी ग्यारह वास्तविक समस्याओं के पीछे कोई शक्ति खड़ी नहीं होती। सच्चाई यह है कि ये दानों ही प्रकार के प्रयत्न समस्याओं में वृद्धि ही करते हैं। आश्चर्य तो तब होता है कि जब दोनों ही गुट श्रम शोषण के तीनों सिद्धान्तों पर एक जुट होकर काम करते हैं जबकि बाहर में ये खूब लड़ते दिखते हैं। अब हम इनकी पोल खोलने का बीड़ा उठा चुके हैं इसलिये भविष्य में आन्दोलन के लिये समस्या चयन का पूरी तरह निरुत्साहित करना है। काम अत्यन्त कठिन है किन्तु असंभव नहीं है। प्रश्न पूछिये अपने विचार लिखिये। व्यवस्था बदलेगी।

(4) श्री संतोष कुमार शर्मा शालिमार बाग दिल्ली 88

प्रश्न – (1) सुनामी का कहर गरीब देशों पर ही क्यों पड़ा? क्या शंकराचार्य गिरफ्तारी से भी इसे जोड़ा जा सकता है।

(2) राष्ट्रपति अब्दुल कलाम ने बारहवीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस में बच्चों को पांच प्रतिज्ञाएँ दिलाई हैं। (क) ज्ञान को उपयोग करे (ख) भ्रष्टाचार मिटाने में तत्पर रहें (ग) पांच अशिक्षितों को शिक्षित बनावें (घ) दस पेड़ लगायें (ङ) पारदर्शी जीवन जीयें।

आपने विचार में इन प्रतिज्ञाओं का कितना महत्व है। तथा क्या परिणाम होगा।

उत्तर – सुनामी एक प्राकृतिक विपदा है। जिसका कोई भावनात्मक संबंध नहीं है। समुद्र के किनारे स्थित गरीब देशों पर इसका प्रभाव पड़ा क्योंकि उक्त क्षेत्र में समुद्र किनारे कोई धनी देश नहीं था। शंकराचार्य प्रकरण से इस विपदा को जोड़ना एक भावनात्मक दुकानदारी के अतिरिक्त और कुछ नहीं है।

शंकराचार्य प्रकरण से इसका लेश मात्र संबंध नहीं है क्योंकि

(क) मरने वालों की सर्वाधिक संख्या इंडोनेशिया और लंका में रही

(ख) शंकराचार्य प्रकरण में सुनामी से प्रभावित नागरिकों का कोई हाथ नहीं था।

सुनामी के कहर से जयललिता पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ा है।

वस्तु स्थिति यह है खाली बैठे लोगों में ऐसी अनावश्यक और महत्वहीन चर्चा उठना कोई विशेष बात नहीं है।

2. राष्ट्रपति जी ने पांच प्रतिज्ञाएँ कराईं। यदि हम भारत की एक सौ समस्याओं को लिखकर उनका प्राथमिकता के आधार पर समाधान के महत्व का क्रम निर्धारण करें तो ज्ञान का उपयोग दसवें भ्रष्टाचार मिटाने में तत्परता पंद्रहवें पांच व्यक्तियों को शिक्षित बनाना अस्सीवें दस पेड़ लगाना पचासीवें और पारदर्शी जीवन जीना पांचवें महत्व की प्रतिज्ञा मानना चाहियें। उन्होंने एक गम्भीर विचारक के रूप में निष्कर्ष निकालकर कोई पांच प्रतिज्ञाएँ नहीं कराईं हैं बल्कि एक निराशा भले आदमी का एक प्रयास है। पेड़ लगाने या शिक्षित करने का ग्यारह चिन्हित समस्याओं के समाधान में शून्य भ्रष्टाचार नियंत्रण के प्रयास का मामूली और ज्ञान के उपयोग तथा पारदर्शिता का महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ेगा। फिर भी इन प्रतिज्ञाएँ में कोई ऐसी प्रतिज्ञा नहीं है। जिसका कोई विपरीत प्रभाव पड़ता हो। कुल मिलाकर उनकी प्रतिज्ञाएँ लाभदायक ही हैं।

(4) रणदीप चौधरी कोंडागाँव बस्तर 494226

आपकी पत्रिका पढो। टेप भी सुना। आप ग्यारह समस्याओं और राजनेताओं के दस नाटकों से बहुत दुखी हैं। इस तरह इक्कीस अंक से दुखी ह और इन्दिरा जी बीस अंक से दुखी थी और बीस सूत्री कार्यक्रम चलाया था।

आपने जो ग्यारह समस्याएँ और दस नाटक लिखे हैं। ये तो सृष्टि के प्रारंभ से ही चल रहे हैं और आगे भी चलते रहेंगे। इनमें नया कुछ भी नहीं है। यदि आप महान बनना चाहते तो कोई नई थ्योरी दें। मैं जानता हूँ आप दे नहीं सकते क्योंकि आप बुराई से डरते हैं। डरपोक व्यक्ति समाज सुधार कर नहीं सकता। आप में न तो हिम्मत है, न सामर्थ्य, न नई सोच का मादा। अतः इस तरह समय और शक्ति बर्बाद करना ठीक नहीं। यदि जीवन में कुछ करना है तो मेरे पास कोन्डागाँव आओ। नया सोच, नया रास्ता नई पहल मिलेगी। जोवन में असफल व्यक्ति की मूर्ति बनने की अपेक्षा सफलता के प्रतीक बनो। मैं अभी विनोबा जी की पुस्तक गीता प्रवचन का अध्ययन कर रहा हूँ

उत्तर— आपन हमारे ग्यारह समस्याओं और राजनेताओं के दस नाटकों को इन्दिरा जी के बीस सूत्रों से जोडा यह प्रसंग मेरी समझ में नही आया कि आपका गंभीर आशय क्या है।

मैं एक सामान्य व्यवसायी हूँ। महान बनने की तो सोच ही नहीं सकता। मैं तो उस चिडिया के समान हूँ जिसके अंडे समुद्र बहाकर ले जावे चिडिया समुद्र को चोंच से सुखाने का प्रयत्न कर कोई ऋषि आकर दया करें और उसके अंडे वापस करा दें। बस मेरी स्थिति वैसी ही है। ग्यारह समस्याओं से दुखी हूँ। लोग मेरी व्यथा को सुनकर दस प्रकार का नाटक करते ह और मैं दुखी और परेशान हूँ। मेरी परेशानी को देखकर कुछ और पक्षी तो चोंच से समद्र सुखाने के काम में लगे है लेकिन आप जैसे सामर्थवान विद्वान इस प्रयास को दूर से ही हास्यास्पद मूर्खतापूर्ण आदि बताकर सिर्फ छोड देने और कोंडागाँव आने की सलाह देने में ही अपने दायित्व पूरा होना मान रहे ह इससे मेरा कष्ट तो कम नहीं हुआ मैं जाकर आपसे मिला था किन्तु आपने उस समय भी गीता, रामायण, गांधी ओर विनोबा से नीचे की कोई चर्चा नहीं की थी यदि रामानुजगंज या अम्बिकापुर दूर है तो कोन्डागाँव में ही इन ग्यारह समस्याओं से ग्रसित अनेक लोग है। जिन्हें आपके मार्ग दर्शन की आवश्यकता है आपने अपनी शक्ति का उपयोग करके यदि इन समस्याओं का थोडा भी समाधान किया होगा तो मुझ जैसे व्यक्ति को अरण्य रोदन की आवश्यकता नहीं पडती।

मैं चाहता हूँ कि आपको मुझे अपने चरणों में बुलाने की चिन्ता छोड कर पहले इन समस्याओं के समाधान में लगना चाहिये। ध्यान रखिये कि आप महान बनने के लिये प्रयत्नशील भी ह और क्षमता भी रखते है तो मैं आपका किसी रूप में प्रतिस्पर्धी नहीं हूँ।

(5) स्वामी मुक्तानन्द सरस्वती सर्वोदय आश्रम साधुबेला हरिद्वार 249410

समीक्षा—ज्ञान तत्व में आप परिस्थितियों को जिस ढंग से देखते है और समाधान सोचते है। उसमें कई स्थान पर सहमति भी रहती है। असहमति भी विचार मंथन जारी रखकर संशोधन की आवश्यकता है। हिन्दू धर्म इस्लाम या इसाई की तरह कोई सम्प्रदाय न होकर अनेक सम्प्रदायों का समाज है इसलिये हिन्दू नाम से कोई संगठन खडा करना संभव नहीं हिन्दू समाज में जातिगत विषमता के साथ साथ आर्थिक विषमता बहुत गहरी है। धार्मिक और सांस्कृतिक बिन्दुओं पर राजसत्ता प्राप्त करने के लिये हिन्दू समाज को संगठित नहीं किया जा सकता। इस्लाम और इसाई समुदाय की सोच में सत्ता के विकेन्दीकरण को कोई स्थान नहीं है जबकि हिन्दू समाज में है। अतः हिन्दू समाज को पूर्ण अधिकार सम्पन्न बनाना तथा संचालन सत्ता का अधिकार गाँव तक विकेन्द्रित करना हिन्दू समाज की विशेष देन है।

वर्तमान समय है। राजनैतिक साम्राज्यवाद तथा आर्थिक साम्राज्यवाद ने मिलकर आम जनता को दबाने का भरपूर प्रयास किया है। राजनैतिक साम्राज्यवाद कुछ ढीला पडा है। अतः आर्थिक साम्राज्यवाद से सीधा टकराव से एक नई राजनैतिक शक्ति खडो हो सकती है। अतः संविधान की मौजूदा व्यवस्था को ग्राम केन्द्रित करने के लिये आर्थिक साम्राज्यवाद से संघर्ष करना आवश्यक है।

आपने ग्यारह समस्याएँ बताई है। चोरी, डकैती, मिलावट, धोखा, संग्रह के अधिकार का परिणाम है तथा बलात्कार अनियंत्रित भोग को प्रोत्साहन का। हिंसा, आतंक साम्प्रदायिकता जातीय कटुता प्रभुत्व वृद्धि की मानसिकता का परिणाम है और चरित्र पतन इन दोना का मिला जुला। इन सभी समस्याओं का कारण विकास की वह परिभाषा है। जिसमें भोग साधन वृद्धि को विकास के साथ जोडा गया है। इस परिभाषा ने सारे विश्व में हडकंप मचाया हुआ है क्योंकि हर देश एक दूसरे से भौतिक संसाधनों में आगे निकलने हेतु इन ग्यारह कुकर्मों का सहारा ले रहा है। हमें अपनी शक्ति विकास की उपरोक्त परिभाषा को बदलने में लगानी चाहिये।

मैं आपसे सहमत हूँ कि राज्यशक्ति पर समाज शक्ति का नियंत्रण होना चाहिये किन्तु राजतंत्र को कौन कोन सी शक्तियाँ मजबूर कर रही है और समाज को कौन शक्तियाँ कमजोर कर रही है जब तक यह न जाने तब तक नियंत्रण कैसे होगा? मेरे हुए है विचार में आज जो लोग समाज मे सम्मानित बने बैठे है ये साधारण लोगों के आदर्श बना और वही लोग इन ग्यारह समस्याओं का पोषण भी कर रहे ह और वही लोग इन ग्यारह समस्याओं का पोषण भी कर रहे हैं और सरक्षण भी इन शीर्ष लोगों म धर्माचार्य राजनेता उद्योगपति समाज सेवक अभिनेता बुद्धि जीवी स्मगलर माफिया और कांतिकारी सब तरह के लोग शामिल है। हम जिस यथास्थिति को तोडना चाहते हैं उस यथास्थिति का सरक्षण ये उच्च सम्मान प्राप्त लोग कर रहे ह और हम भी कही न कही इन बस के प्रत्यक्ष या परोक्ष सम्पर्क में है। इन महानुभावों से असहयोग का मार्ग खोजना आवश्यक है इसी संदर्भ में गांधी जी ने अन्तिम दिनों में बिडला से संघर्ष की संभावना व्यक्त करते हुए कहा था कि सैनिक शक्ति पर लोकशक्ति की विजय का संघर्ष ही एकमात्र मार्ग है।

उत्तर— आपने राजनैतिक शक्ति के उदय में धर्म को आधार बनाने की असफलता और आर्थिक विषमता का आधार बनाने की बात कही मैं उससे सहमत हूँ किन्तु मेरी सोच कोई राजनैतिक शक्ति बनने या बनाने की दिशा में नहीं है। वर्तमान शासन के स्थान पर मेरा या मेरे विचार समर्थको का शासन हो यह न मेरी इच्छा है और न ही मैं इससे कोई परिवर्तन की उम्मीद करता हूँ। मेरा सोच है कि संविधान की वर्तमान व्यवस्था को विकेन्द्रित करके परिवार तक ले जाना। गांधी विनोबा जयप्रकाश ने गाँव का व्यवस्था की पहली संवैधानिक इकाई माना था मैं गांव से और नीचे संवैधानिक व्यवस्था में परिवार को शामिल करने का पक्षधर हूँ किन्तु मेरा परिवार या ग्राम पर कोई अलग राग नहीं है। यदि अन्य साथी गाँव तक ही कहेंगे तो मैं परिवार का पक्षधर होते हुए भी गांव के लिये सहमत हूँ।

आपने ग्यारह समस्याओं का कारण आर्थिक और राजनैतिक शक्ति के एकत्रीकरण का परिणाम बताया इससे भी मैं सहमत हूँ। आपने प्रगति की विश्वव्यापी परिभाषा अधिकतम भौतिक संसाधनों के विकास बताकर इस परिभाषा का बदलने की बात कही उससे भी सहमति है। आपने समाज में सम्मानित लोगों का चक्र बताकर समस्याओं के संरक्षण की बात कही उससे भी मैं सहमत हूँ आपने विकास को विश्व परिभाषा को बदलने हेतु सम्मानित लोगों को प्रत्यक्ष टकराव में आने तथा राज्यसत्ता कि अपेक्षा तथा धन सत्ता को अधिक खतरनाक माना है। मैं धन सत्ता की अपेक्षा राज्यसत्ता को अधिक घातक मान रहा हूँ। यही मेरा आप से एकमत नहीं है। धर्माचार्य धनपति और सत्ताधीश तीनों ही मिलकर इस षडयंत्र में शामिल हैं मैं इन तीनों के बीच में बैठकर इन्हें शक्ति और संरक्षण दे रहा हूँ। मेरे विचार में उक्त संविधान राजनीतिज्ञों के तो प्रत्यक्ष प्रभाव में है किन्तु धर्माचार्य और धनपतियों के प्रत्यक्ष प्रभाव में नहीं है। धर्माचार्य या धनपति भी राजनेताओं के माध्यम से ही संवैधानिक संरक्षण प्राप्त करते हैं यदि हम एक चलते हुए पंखे को डंडे से बन्द न करके उसका स्विच आफ कर दे तो अधिक बुद्धिमानी होगी यदि उस पंखे का नियंत्रण स्विच से है और वह स्विच हमारी पहुँच के अन्दर है। जब हम जानते हैं कि सबको संरक्षण भारतीय संविधान दे रहा है और संविधान के साथ राजनेताओं का प्रत्यक्ष घालमेल है तो हमें संविधान पर नियंत्रण करके राजनेताओं का तालमेल काट देना चाहिये। धर्माचार्य आर धनपति तो स्वयं ही कट जायेंगे क्योंकि उनका सीधा संबंध संविधान से न होकर राजनीति के माध्यम से है। स्वतंत्रता के बाद गांधी जी ने महसूस किया था कि राजनैतिक शक्ति पर विजय हो चुकी है और अब राजनैतिक शक्ति से धन शक्ति के टकराव को स्थिति है। हम परिस्थितियों को ठीक से समझे बिना गांधी जी के बिडला से संघर्ष के कथन को उद्धन करते हैं। उसी समय गांधी हत्या ने राजनैतिक सत्ता को भी स्वतंत्र कर दिया और पुनः सैनिक शक्ति लगभग उन्ही के हाथ चली गई स्थिति में हमारा संविधान सीधा टकराव संवैधानिक तरीके से संविधान में संशोधन करके पहले राज्यसत्ता को संरक्षण से दूर करने का होना चाहिए।

आपने परिवर्तन में जुड़ लोगों का भी राजनेताओं धर्माचार्यों पूँजीपतियों तथा अन्य लोग से सम्बन्ध होने की बात कही है। पहली बात तो यह है कि सबके सब अपराधी हो ऐसा नहीं है। इनमें भी कुछ लोग अच्छे हैं और कुछ ऐसे हैं जो वर्तमान परिस्थिति में ऐसा कर रहे हैं किन्तु प्रवृत्ति से वैसे नहीं हैं। दूसरी बात यह है कि हम राजनेताओं, धर्माचार्य, पूँजीपतियों के विरुद्ध कोई धुवीकरण भी नहीं कर रहे हैं। हम तो सिर्फ राजनेताओं की उच्चश्रृंखला संवैधानिक शक्ति के विरुद्ध अभियान खड़ा कर रहे हैं। जब धुवीकरण शुरू होगा तब पता चलेगा कि कौन किधर जाता है। अभी तो टीम बन रही है कि कौन राजनैतिक उच्चश्रृंखला पर अंकुश के प्रयत्नों में ताल ठोककर इस टीम से जुड़ा है कौन चरित्र निर्माण विदेशी कम्पनी विरोध आदर्श गांव निर्माण आदि कार्यों में सक्रिय रहकर इस संघर्ष से दूर समाज परिवर्तन में सक्रिय रहता है और कौन यथा स्थिति के बनाये रखने का पक्षधर बनकर हमारी टीम के विरुद्ध में मैदान में उतरता है। हमारा मार्ग सीधा सपाट और एक सूत्रीय है। हम राजनीति रूपी उच्चश्रृंखला शेर को समाज के अंतर्गत किसी पिंजडे में बन्द करना चाहते हैं। आपसे भी निवेदन है कि आप हमारे प्रयत्नों पर पुनः विचार कर और हमें उचित मार्ग दर्शन करें।

(6) श्री रवीन्द्र सिंह तोमर संवाद सरोवर गुना मध्यप्रदेश

विषय— कानून के लिये सब समान या सबके लिए कानून । प्रजातंत्र में कानून सबके लिए समान है। वह मानता है कि निन्यान्नबे अपराधी भले ही छूट जावें किन्तु एक भी निदोष को सजा न हो जावे। इस सीमा तक दण्ड देने में सतर्कता होनी चाहिये। संविधान के अनुसार न्यायापालिका, विधायिका और कार्यपालिका पूरी तरह स्वतंत्र है। किन्तु व्यवहार में ये तीना कितने स्वतंत्र है। यह शोध का विषय है।

भारत में धर्म और राजनीति का तालमेल किया गया है। धर्म व्यक्ति को अहिंसा, समानता और त्याग की प्रेरणा देकर धर्म भीरु बनाता है। समाज की इस धर्म भीरुता का लाभ उठाकर राजनीति समाज का जातियों धार्मिक संस्थाओं और सम्पदाओं में बाँटकर स्वयं को मजबूर और सुरक्षित करती है। वह कभी कानून के समक्ष सब समान की दलील देती है तो कभी सबके लिये समान कानून की मांग भी करती है। समय समय पर उसकी दलील और मांग बदलते रहती है। संविधान द्वारा तीना इकाइयाँ देश का विरासत में मिली है। जिसमें राजा कहे सो न्याय को लिखित रूप देकर विधायिका और कार्यपालिका के अधिकार और कर्तव्य निश्चित किया गया है।

संघ ने समाज को अशिक्षा और धर्मभीरुता का लाभ उठाकर विद्यालयों का तो खूब विकास किया किन्तु उन्हें स्वतंत्रता नहीं दी। संघ धर्म को आड लेकर समान कानून के नाम पर बहुसंख्यक हिन्दू और अल्पसंख्यक मुसलमान इसाई की श्रेणी में बाटता है संघ यह भूल जाता है कि हिन्दू विभिन्न धर्म, जाति, सम्प्रदायों में बंटकर भी कानून की समानता का पक्षधर है अल्पसंख्यक भले ही अपने धर्म को प्राथमिकता देकर कानून का लाभ उठावें।

धर्म से तटस्थ रहने वाले साम्यवादियों को धर्मभीरुता और अशिक्षा ने रोक रखा है। स्वतंत्र शिक्षा नागरिक गुणों को बढ़ाकर आत्म विश्वास और मनोबल बढ़ाती है। वह धर्म और राजनीति को पृथक रखना भी समझती है। शंकराचार्य के प्रकरण में राजनीति ने कार्यपालिका और न्यायपालिका पर जितना ही अधिक अंकुश लगाने की कोशिश की विरोध उतना ही ज्यादा मुखर होता गया न्यायापालिका ने शंकराचार्य जी को जमानत देकर अपने सिद्धान्त की रक्षा की है। यह जमानत किसी पक्ष के लिये लाभकारी होगी यह भविष्य बतायेगा।

(7) श्री चितरंजन भारती 246 न्यू टाउनशिप पंच ग्राम असम 788802

समीक्षा— आपने जिन शंकराचार्य जी की गिरफ्तारी पर हिन्दू समाज की उदासीनता का उल्लेख किया है वह स्वाभाविक ही थी क्योंकि पहली बार तो यह है कि जयेन्द्र सरस्वती जी आदि शंकराचार्य की परंपरा से नहीं आते दूसरी बात यह है कि जयेन्द्र जी ने अनावश्यक ही धर्म परंपरा से हटकर राजनीति से नाता जोड़ना शुरू किया यदि साँप से खेलने की आदत पड़ गई है तो साप कभी डस भी सकता है। जो स्वाभाविक ही है। इस मामले में खास बात महत्व की यह है कि हिन्दुओं ने कभी संगठन को महत्व नहीं दिया सदा ही गुणों को महत्व दिया है। भीष्म दोषाचार्य जैसे सदपुरुष भी कौरवों का साथ देने के कारण वन्दनीय नहीं हो पाये थे।

अम्बिकापुर की व्यवस्था में आपकी तानाशाही प्रवृत्ति के दोनों ही पक्षा को मैंने ध्यान से पढ़ा है। मेरा यह अनुभव है कि बकवासी वक्ता सम्मेलनों का न सिर्फ समय नष्ट करते हैं बल्कि वे विषय पर चर्चा की गंभीरता भी समाप्त कर देते हैं। आपने अम्बिकापुर सम्मेलन में ऐसे वक्ताओं पर कठोरता से नियंत्रण करके बहुत अच्छा किया। इससे बातूनी लोगों से मुक्ति मिलेगी और गंभीर लोगो की सहभागिता बढ़गी।

(8) श्री रमेश शर्मा गांधी शान्ति प्रतिष्ठान दीनदयाल उपाध्याय मार्ग नई दिल्ली 110022

सुझाव —पिछले दिनों शंकराचार्य जी की गिरफ्तारी ने पूरे देश में एक हलचल मचा दी है। गांधी शान्ति प्रतिष्ठान के अक्षय श्री रवीन्द्र वर्मा जी न इस संबंध में एक लख लिखा जो सात दिसम्बर के अंग्रेजी अखबार हिन्द में छपा भी है। उसकी एक प्रति विचारार्थ और समीक्षार्थ भेज रहा हूँ।

मैं कई वर्षों से सोचता रहा हूँ कि आओ मिलकर सोचे योजना के अन्तर्गत एक श्रृंखला प्रकाशित करके अपने साथियों के अभाव में यद्यपि हिम्मत नहीं होती थी किन्तु अब लगता है कि आप सबके सहयोग से यह संभव हो सकता है। उत्तर की प्रतीक्षा रहेगी। शंकराचार्य सरीखें सर्वोच्च धर्मगुरु की अपने ही साथी की हत्या के आरोप में गिरफ्तारी और जेल में अपराधियों के समान ओर साथ रखने के मामले ने हिन्दू समाज को गहरे सदमे में डाल दिया है किन्तु इस प्रकरण ने हमारे समक्ष निम्नांकित गंभीर प्रश्न भी खड़े कर दिये हैं।

- (1) क्या किसी पद तथा पदाधिकारी के बीच व्यवहार में कोई अन्तर होना चाहिए यदि नहीं तो क्या किसी पद पर बैठे व्यक्ति के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव उस पद अपमान नहीं है।
- (2) क्या कोई प्रजातांत्रिक व्यवस्था का अस्तित्व कानून के समक्ष सब समान के सिद्धान्त के अभाव में टिका रह सकता है। विशेषकर तब जब स्वतंत्रता के पूर्व ही आशा की गई थी।
- (3) क्या कानून में सब समान का विरोध करके मानवाधिकार की सुरक्षा संभव है?
- (4) क्या भारत में हम समान नागरिक संहिता के पक्षधर लोग पृथक पृथक दण्ड संहिता के पक्ष में बोल सकते हैं।
- (5) क्या पृथक पृथक धर्मों के आधार पर पृथक पृथक दण्ड संहिता के हम पक्षधर हैं।
- (6) क्या हम घोषित कर सकते हैं कि कानून के अन्तर्गत घोषित अपराध से किसी व्यक्ति को पृथक रखा जाये।
- (7) यदि किसी मामले में सभावना है कि कानून का उल्लंघन हुआ है और दण्ड संभव है तो कौन निर्णय करेगा कि संदेहास्पद व्यक्ति दोषी है या निर्दोष यह निर्णय न्यायापालिका पर छोड़ा जाय या यह निर्णय राजनैतिक दलों के धरना प्रदर्शन धमकी आदि के माध्यम से किया जाय?

(8) यदि शंकराचार्य की गिरफ्तारी के मामले में उनके साथ दुर्व्यवहार हुआ तो इस संबंध में भी तो अन्तिम निर्णय न्यायापालिका ही करगी या भीड़ या आन्दोलन

इस मामले में तमिलनाडु सरकार भी कटघरे में खड़ी है। यदि उसने अपुष्ट साक्ष्य के आधार पर इतना बड़ा कदम उठाया। किन्तु जिस तरह कुछ लोग इस मुद्दे को हिन्दू धर्म का अपमान घोषित कर रहे हैं यदि शंकराचार्य अपराधी प्रमाणित हो गये तो फिर हिन्दू धर्म का अपमान करने का कौन दोषी माना जायेगा। कुछ लोग पूछते हैं कि अन्य धर्मावलम्बी गिरफ्तार होता तो यही व्यवहार होता तो वे उत्तर दें कि क्या कानून में ऐसा करना उचित होगा कि किसी एक ही अपराध के लिये किसी को दण्डित करने की व्यवस्था हो और किसी को न करने की ?

सीता के विरुद्ध आरोप पर राम ने धोबी का सजा न देकर सीता को ही दोष रहित प्रमाणित होने की परीक्षा का आदेश दिया था। हम राम को मानने वाले राम के ही विधान के विपरीत क्यों जा रहे हैं।

उत्तर— श्री रवीन्द्र सिंह जी तोमर और चितरंजन जी भारती के विचार बहस के मुद्दे न होने से मान्य ही है। श्री रमेश शर्मा जी तथा रवीन्द्र वर्मा जी के विचार और आचार के बीच तालमेल पर मंथन की आवश्यकता है। दोनों ही स्थापित व्यक्तित्व हैं। मेरे निकट से संबंध है तथा गंभीर एवं सक्रिय विद्वान हैं। श्री वर्मा जी न जो प्रश्न उठाये ह उन सबका मेरा उत्तर वही है। जो उनके हैं कानून कि नजर में सब समान होना चाहिए इस सिद्धान्त के अधिकतम रक्षा की जानी चाहिए किसी संदेहास्पद अपराधी के पक्ष में किसी स्थापित संवैधानिक व्यवस्था की अपेक्षा आंदोलन करना गलत परंपरा है।

मने प्रारंभ से ही समान कानून का पक्ष लिया है शंकराचार्य जी को गिरफ्तारी के बाद जब तोगडिया सरीखे पेशेवर धर्मात्मा चिल्लाने लगे तब मैंने अम्बिकापुर के सभी अखबारों में एक बयान देकर हिन्दू धर्मावलम्बियों की प्रशंसा की कि उन्होंने धैर्य से काम लिया। मैंने इस संबंध में अखबारों में भी लेख लिखे जो सरगुजा के अखबारों में छपे। मेरा इस सम्बन्ध में स्पष्ट मत रहा जो ज्ञान तत्व में भी छपा शंकराचार्य प्रकरण से पूर्ण गुजरात पुलिस ने आंध्र में जाकर दो संदेही आतंकवादिया को गिरफ्तार किया था जो वहा के प्रतिष्ठित धर्मगुरु थे। उस समय हैदराबाद तथा कुछ स्थानों पर व्यापक विरोध हुआ था। मने उस समय गुजरात के नरेन्द्र मोदी सरकार के समर्थन में बयान दिया था और आन्दोलन की आलोचना की थी। मैं प्रारंभ से अब तक घोषित रूप से समान कानून में सब समान का पक्षधर हूँ। रवीन्द्र वर्मा जी को यह स्पष्ट करना चाहिए कि वे भारत में समान नागरिक संहिता के कितने पक्षधर हैं। यदि एक हिन्दू दो विवाह करे तो जेल और मुसलमान करे तो छूट इस संबंध में उनका क्या मत है। शाह बाना प्रकरण में न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध उत्तरी इस्लामी भीड़ का आंदोलन और आंदोलन के दबाव से बदले कानून के विषय में उनकी क्या राय है। मैं अब तक ऐसा समझता हूँ कि भारत में दो राजनैतिक गिरोह सत्ता प्राप्ति के लिये दो गुटों में बटकर और संघ विरोधी नाम से मैं मानता रहा हू। मैंने अपनी भूमिका स्पष्ट कर दी है कि मेरा दोनों से समान सम्बन्ध है। मैं ऐसा समझता हूँ कि इन दो गिरोह के सत्ता संघर्ष में संघ भी लाभ में है और संघ विरोधी गुट भी इसमें सर्वाधिक क्षति धर्म निरपेक्ष विचारधारा को हुई है। जिसका वर्तमान भारत में अपने आचारण में सर्वाधिक उतारने वाला आम हिन्दू है। संघ परिवार अपने राजनैतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिये एक और तो समान नागरिक संहिता की मांग करता है। संघ विरोधी गिरोह भी शंकराचार्य प्रकरण में तो समान कानून की बात करता है और शाह बानो मामले में विशेष कानून की। रवीन्द्र वर्मा जी को अपने पश्न का पहले खद उत्तर देना चाहिए कि कही वे किसी गिरोह के पक्षधर तो नहीं हैं।

रमेश शर्मा जी के सुझाव से मैं सहमत हूँ। इससे विचार मंथन और निष्कर्ष निकालने में बहुत सुविधा होगी। मैं आपके इस कार्य में पूरा पूरा सहयोग करूंगा। एक बात अवश्य आपसे कहना चाहूंगा कि ऐसे लोगों को संघ विरोधी धड़े बंदी से समान दूरी बनाकर रखनी आवश्यक है। मैंने आपको समय समय पर सतर्क भी किया है। जब आप गुजरात चुनाव में भाजपा के विरुद्ध चुनाव प्रचार में गये थे। तो मैंने आपको सलाह दी थी कि हमें दलगत राजनीति से दूर रहना चाहिए क्योंकि ग्यारह समस्याओं के उलझाव में सभी दलों की समान भूमिका है। हमें जब कांग्रेस विरोध कि खजली होती है। तब साम्प्रदायिकता को। मन ग्यारह समस्याओं पर एक सौ विद्वानों को चिट देकर पूछा कि ग्यारह समस्याओं की भयावहता के कम लिखते तो किसी मुद्दे पर सहमति नहीं थी। अनेक लोग तो तय ही नहीं कर पाये कि किस समस्या को उपर करे। वास्तव में साम्प्रदायिकता सबसे बड़ा समस्या प्रमाणित नहीं है बल्कि हम अपनी सुविधा से इन्हें उपर नीचे करते रहते हैं।

दूसरी बात यह है कि हमें गांधी जी के विचारों से अधिकतम मार्ग दर्शन प्राप्त करना चाहिए। गांधी जी ने स्पष्ट मार्गदर्शन दिया था कि हम पाप स घृणा करन की आदत डालें पापों से नहीं। अथात हमें साम्प्रदायिक नीतियों का विरोध करना चाहिए संघ का नहीं। आम तौर पर हम संघ विरोध की भूमिका में आ जाते हैं। गांधी जी दूसरे के विचार सुनकर उसे डाटते नहीं थे बल्कि समझाते थे किन्तु इस संबंध में मैंने आपको कुछ भिन्न पाया। इराक युद्ध के समय मैंने सद्दाम और अमेरिका दोनों को एक समान तानाशाह मानते हुए एक लेख लिखा था। आपने उक्त लेख का कोई अंश काटने की अपेक्षा मुझे कस के डांटते हुए पत्र लिखा था जो मैंने ज्ञान तत्व में छाप भी दिया था इस तरह गोधरा कांड के बाद माननीय राजीव बोरा जी ने गांधी मार्ग में एक तथ्यात्मक विश्लेषण दिया था जो मुसलमानों के कुछ विरुद्ध था। उनके लेख राजीव बोरा जी के विरुद्ध एक वातावरण बनाया। आप भी राजीव बोरा जी के उक्त लेख को ठीक नहीं मानते थे। ऐसे कार्यों से धड़ बन्दी प्रकट होकर नीयत पर उंगली उठने लगती है जो स्वतंत्र विचार मंथन में बाधक है। आप और रवीन्द्र वर्मा जी यदि धड़ बन्दी से उपर उठकर कुछ करने की सोच रहे ह तो मेरा आपको पूरा समर्थन और सहयोग मिलेगा।

9. श्री रामकिशोर श्रीवास सम्पादक दैनिक राजदर्पण मालीपुरा अकोला महाराष्ट्र.

सुझाव—विश्व भर में समय की गणना और वर्ष के आकलन की अवधि एक जनवरी से इकतीस दिसम्बर तक हो जो हर तरह से सुविधाजनक है किन्तु भारत में यह गणना एक अप्रैल से 31 मार्च रखी गई है। यह काल गणना पूरी तरह असुविधाजनक है। इसे बदलना चाहिये।

उत्तर— मैं भी लम्बे समय से यही सोचता रहा हूँ। यह कार्य बहुत पहल होना चाहिये था किन्तु हमारी गुलाम मानसिकता हमें कुछ भी नया नहीं करने देती है वर्ष की गणना अप्रैल से मार्च करना बिल्कुल ही बेतुका और तर्कहीन है। मैं आपकी मांग से पूरी तरह सहमत हूँ।

6/4/88/ठ प्रश्न 10. श्री वेद व्यथित संयोजक सामाजिक न्याय मंच 3/1577 वल्लभगढ हरियाणा 121004

ज्ञान तत्व के कई अंकों में आप संघ के विरोध में अतिरिक्त और कुछ नहीं लिखते। मैं आज तक नहीं समझ सका कि आपको संघ में क्या कोई अच्छाई नहीं दिखी? मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि (1) क्या हिन्दू धर्म की रक्षा के प्रयास करना उचित नहीं है। (2) यदि है तो क्या संघ परिवार गलत कर रहा है। (3) यदि संघ के प्रयास गलत हैं तो आप किस प्रयास के पक्षधर हैं?

पूरा विश्व जानता है कि हिन्दू धर्म अकेला ही ऐसा है जो संख्या बल पर विश्वास नहीं करता। हिन्दू धर्म कभी आक्रामक नहीं रहा जबकि इस्लाम की तो बुनियाद ही संख्या विस्तार और आक्रमण से शुरू होती है। इस्लाम ने एक पाकिस्तान बना लिया और दूसरे की तैयारी है। स्वामी दयानन्द ने सबसे पहले इस खतरे को भापकर शुद्धि आन्दोलन चलाया था किन्तु स्वामी जी का नाम लेकर काम करने वाले आप इस शुद्धि आन्दोलन के विरुद्ध हैं। आज आर्य समाज की स्थिति क्या है। यह आप अच्छी तरह से समझते हैं क्योंकि आप आर्य समाज से जुड़ हैं। मैं तो देख रहा हूँ कि आर्य समाज और डी,ए,वी,स्कूल अपने उद्देश्य से भटक गये हैं। आप आर्य समाज की अहिंसक कान्ति में सक्रियता की बात करते हैं किन्तु कहाँ दिख रही है वह सक्रियता आपने स्वयं अब तक कोई कार्य योजना प्रस्तुत की होती तो हम गुण दोष के आधार पर कुछ सोच पाते। किन्तु आप तो संघ के कार्यकर्ताओं का मनोबल तोड़ने में लगे हैं जो उचित नहीं।

11. श्री रामप्रसाद मिश्र एच— 41 विकासपुरी नई दिल्ली 110018

समीक्षा— आपने ज्ञानतत्व अंक चौरासी में देशी विदेशी अर्थ वर्षा से लहलहाती भारत में मानवाधिकार की फसल पर बहुत अच्छा प्रकाश डाला है। पेशेवर मानवाधिकारियों के मुँह बन्द है। सब जानते हैं कि मानवाधिकार आयोगों के पूर्व अध्यक्ष तक यात्रा व्यय बढ़ा बढ़ा कर धन उगाने और अपनी आयु दो वर्ष बढ़ाकर पद पर डटे रहने तक के आरोपों से घिरे रहे हैं। इस्लामी डालर डकारने वाले सब मानवतावादी और बाको सब अमानवीय का राग अलापने वाले अंग्रेजी अखबार तो और भी अधिक एक पक्षीय हो गये हैं। दुनिया को इस्लाम और ईसा के झंडे तले लाने के लिये प्रयत्नशील लोगों के हथकड़ भारत में भी सफलता के लिय आगे बढ़ रहे हैं। यह चिन्ता का विषय है।

12. अज्ञात मउ, उत्तरप्रदेश

अंक चौरासी मिला और पूरा पढा इस अंक में मानवाधिकार संगठनों के संबंध में कुछ गंभीर विचार प्रस्तुत किया गया है किन्तु मानवाधिकार संगठनों पर चर्चा करते समय उन सबकी चर्चा भी आवश्यक थी जो पीछे से ऐसे संगठनों का खडा करते ह या शक्ति देते हैं। इतिहास साक्षी है कि धर्मान्तर राष्ट्रान्तर को जन्म देता ही है। दुनिया का चाहे कोई भी क्षेत्र हा मुस्लिम या इसाई बहुमत के समक्ष हिन्दू अल्प से अल्पतम होते गये ह जबकि भारत में अल्पसंख्यक मुसलमान निरंतर संख्या वृद्धि में लगे हैं। मुसलमानों की संख्या यदि एक प्रतिशत बढ़ती है तो उनकी शक्ति दो प्रतिशत बढ़ती है। भारत में आज भी गंगा यमुनी संस्कृति जीवित है जबकि भारत के अंश अफगानिस्तान पाकिस्तान बंगलादेश में गंगा यमुनी संस्कृति के अवशेष भी नहीं बचे हैं। गांधीवादियों के पास साम्प्रदायिकता के समाधान की थोथी दलीलें मात्र हैं समाधान नहीं एक बार इस्लाम शक्तिशाली हुआ तो आगे सदा के लिये कोई मार्ग नहीं बचेगा।

13. डॉ अनुपम 121 बेसमेन्ट नैनीताल 263002

हमने अपने में संविधान अनावश्यक शब्द घुसाकर अब उसका इलाज कर रहे हैं यदि संविधान में धर्म शब्द ही नहीं रहता तो धर्म निरपेक्षता की आवश्यकता नहीं होती है इसी तरह सम्प्रदाय शब्द ही साम्प्रदायिक एकता की आवश्यकता बन गया। पहले तो अनावश्यक शब्द इकट्ठ किये और अब उनका समाधान कर रहे हैं।

मानवाधिकार आयोग क्या करे। उसे भी तो सरकार की इच्छा का ख्याल रखना पड़ता है। मानवाधिकार संगठनों की तो बात ही कुछ और है।

इस्लामिक कट्टरवाद का मुहताब जवाब देने के लिये संघ का कट्टरवादी होना कोई गलत नहीं है। यदि देश की इतनी चिन्ता थी तो क्षेत्रीय भाषाओं को बोलचाल या स्थानीय उपयोग तक सीमित रखना था पहले तो क्षेत्रीय भाषाओं को बढ़ाया गया और अब क्षेत्रीयता का राना रो रहे हैं। जिन अम्बेडकर जी का इतना ढोल पीट रहे ह। उनकी योग्यता का आकलन किये बीना ही सिर्फ दलित वोटों के लिये उन्हें सामने रखा जाता है। जो भी हो रहा है वह सब राजनीति के लिये है न सामाज की चिन्ता है न देश की न ही धर्म की। संघ बेचारा अकेला कितना संघर्ष करे।

14. रामगोपाल ए 2वीं/94ए पश्चिम बिहार नई दिल्ली 63

आपका मानवाधिकार संबंधी लेख बहुत अच्छा लगा। कुछ त्रुटियाँ ध्यान देने योग्य हैं –

(1) आपने पृष्ठ एक पर लिखा कि संगठन शक्ति सदा अपनत्व की ओर खींचती है जहाँ न्याय की हत्या करके अपनत्व को प्रोत्साहित किया जाता है। मैं आपके इस विश्लेषण से सहमत नहीं राम ने बानरों को संगठित किया तो क्या न्याय की हत्या हुई? आज हमारे समक्ष संयुक्त राष्ट्र संघ एक संगठन है। क्या उससे न्याय की हत्या हो रही है।

(2) पृष्ठ एक पर ही आपने लिखा कि इस्लाम संगठन से मिलने वाली शक्ति को धर्म मानता है। मेरे विचार में ऐसा नहीं है। पहले कुरान बना और बाद में इस्लाम रूपी संगठन कुरान आधारित इस्लाम का उद्देश्य पूरी दुनियाँ के लोगों में मोमिन और काफिर दो भाग करके उन्हें गुणों के आधार पर न बाँटकर पूजा पद्धति के आधार पर बाँटता है। उसने दुनिया के राज्यों को भी दो भाग करके दारुल इस्लाम और दारुल हरब की पहचान दी है।

(3) पृष्ठ दो पर आपने लिखा कि इस्लाम से भी अनेक लोग धर्म की अपेक्षा आजादी को अधिक महत्व देते हुए आजादी के आंदोलन में कूद पड़े जबकि संघ परिवार की संख्या आजादी आंदोलन में कम रही। मेरे विचार से आपकी इस संबंध में जानकारी दोषपूर्ण है। जो मुसलमान उस समय कांग्रेस के साथ थे उनके लेख पढ़ तो पता चलेगा कि वे पहले मुसलमान थे कि पहले कांग्रेसी फिर मुसलमानों का उनको समर्थन भी नगण्य था। संघ तो एक अराजनैतिक संगठन था अतः उसके आन्दोलन में कूदने का सवाल ही नहीं था। हिन्दू महासभा ने पूरी तरह कांग्रेस का साथ दिया। जो जनमत संग्रह हुआ। उसमें 91.3 प्रतिशत हिन्दू मत कांग्रेस को मिल और 87 प्रतिशत मुस्लिम मत मुस्लिम लीग को। मुस्लिम बहुत क्षेत्रों से कांग्रेस की पूरे तरह जमानत जप्त हुई थी जबकि उसने वहाँ भी मुसलमान ही उम्मीदवार उतारे थे। इस तरह इतिहास की सच्चाइयों पर आप ध्यान रखें तो सुविधा होगी।

उत्तर-कुछ तथ्यों के विषय में मुझे कोई भ्रम नहीं है-

(1) इस्लाम एक संगठन है। उसमें धर्म का कोई लक्षण नहीं है।

(2) इस्लाम को मानने वाले अन्य किसी भी समुदाय की अपेक्षा धर्म के मामले में अधिक कट्टर ह। वे अधिक भावना प्रधान है।

(3) ये जहाँ अल्प मत में होते हैं। वहाँ न्याय की मांग करना जानते हैं किन्तु बहुमत में होते ही न्याय देना भूल जाते हैं।

(4) मुसलमान भारत में लगातार अपनी संख्या वृद्धि के लिए प्रयत्नशील भी है और चिन्तित भी। यह संख्या वृद्धि अभी खतरनाक स्थिति तक तो नहीं पहुँची है किन्तु सतर्कता आवश्यक है।

(5) हिन्दू धर्म को इस्लाम से खतरा है।

(6) स्वामी दयानन्द ने इस खतरे को महसूस करके ही हिन्दुओं को सतर्क किया था और कुछ मार्ग सुझाए थे।

(7) संघ ने इस खतरे को और भी अधिक ठीक ढंग से महसूस किया।

(8) गांधी जी इस खतरे को अच्छी तरह समझते थे किन्तु वे इस विषय से अधिक प्राथमिकता स्वराज्य को देते थे। अतः उन्होंने स्वराज्य के समक्ष इस खतरे को गौण मानकर हमेशा समझौता का मार्ग अपनाया। सर्वोदय ने इस संबंध में गांधी जी को कभी नहीं समझा सर्वोदय भारत की समस्याओं को प्राथमिकता देने के स्थान पर संघ विरोध को ही प्राथमिकता देने लगा। संघ विरोध करते करते वे संघ विरोधी गिरोह में शामिल हो गये।

मैं उपरोक्त बातों को समझता हूँ। अतः ये बातें आप बार बार मुझे बतावे यह आवश्यक नहीं। मैं संघ की हिन्दू धर्म के संबंध में नियम पर कभी संदेह नहीं करता। किन्तु मैं यह मानता हूँ कि संघ परिवार की नीतियाँ पूरी तरह गलत हैं।

(1) संघ ने हिन्दू धर्म खतरे में है का ऐसा हवा खड़ा किया कि अन्य दस समस्याएँ नैपथ्य में चली गईं जबकि अन्य दस समस्याएँ भी साम्प्रदायिकता से कम महत्वपूर्ण नहीं।

(2) संघ ने हिन्दू सुरक्षा के नाम पर हिन्दू संगठन बनाने का प्रयास किया। इससे इस्लाम के दुर्गुण हिन्दू धर्म में भी प्रवेश करने लगे हैं धीरे धीरे स्थिति यह आई कि हिन्दू धर्म के समक्ष दो खतरे पैदा हो गये 1. इस्लाम के द्वारा संख्यात्मक दृष्टि से अल्पसंख्यक होने का 2. संघ के द्वारा गुणात्मक पतन का यह गुणात्मक अवनति इस सीमा तक बढ़ी कि कुछ मामलों में तो यह अन्य कई समस्याओं की वृद्धि में सहायक होने लगी।

(3) संघ ने अपने सांस्कृतिक स्वरूप का राजनैतिक कर लिया मुसलमान इस मामले में चालाक निकले। उन्होंने भारत में अपनी स्थिति को समझा और इसलिये राष्ट्रीय राजनीति में कूदने की जल्दी नहीं की संघ ने हिन्दू मानसिकता को समझने में भूल की और संघ को हिन्दू धर्म का प्रतिनिधि मान लिया जबकि अस्सी वर्ष बीतने के बाद भी संघ को हिन्दू अपना प्रतिनिधि नहीं मानत।

(4) एक राजनैतिक दल बन जाने से संघ की प्रतिस्पर्धा एक ऐसे राजनैतिक प्रतिद्वंदी से ही गई जिसमें अधिकांश हिन्दू शामिल थे संघ का एक मोर्चा बन गया और भारत को प्रतिस्पर्धी राजनैतिक समूहों में विभक्त हो गया 1. संघ समर्थक 2. संघ विरोधी। भारत में ऐसा खतरनाक ध्रुवीकरण होने देने का सम्पूर्ण श्रेय संघ को जाता है जिसने समझदारी की अपेक्षा राजनैतिक महत्वाकांक्षा को अधिक महत्व दिया परिणाम यह हुआ कि मुसलमान संघ विरोधी मोर्चे में शामिल होकर सुरक्षित हो गये।

(5) संघ ने अपनी शक्ति को हमेशा ही **over estimate** किया इन्होंने एक शत्रु न बनाकर सबको एक साथ शत्रु बना लिया। सारा विश्व इस्लाम के खतरे को समझने लगा है किन्तु संघ ने इस्लाम के विरुद्ध मोर्चा की अपेक्षा इसाइयों और साम्यवादियों के विरुद्ध भी समकक्ष मोर्चे खोल दिये जबकि भारत के मुसलमानों ने इसाइयों से संबंध सामान्य रखे और साम्यवादियों के साथ मुधर। संघ को चाहिए था कि वह कांग्रेस के साथ सामंजस्य करता या इसाइयों से टकराव को टालता किन्तु संघ ने हिन्दू धर्म सुरक्षा का राजनीति के साथ ऐसा घाल मेल किया कि कांग्रेस के साथ भी उसके संबंध नहीं बन पाये और इसाइयों के साथ भी नहीं बने।

(6) संघ ने राजनैतिक ध्रुवीकरण की छटपटाहट में वैचारिक मुद्दे किनारे करके भावनात्मक मुद्दे आगे बढ़ाने शुरू किये। समान नागरिक संहिता और धर्म परिवर्तन एक वैचारिक मुद्दा था संघ ने इन मुद्दों के स्थान पर स्वदेशी और मंदिर मुद्दे को आगे कर दिया स्वदेशी मुद्दा तो शुरू से ही असफल रहा। मंदिर मुद्दे ने हिन्दुओं में एक भावनात्मक उबाल तो पैदा किया किन्तु वह उबाल निर्णायक राजनैतिक शक्ति तक नहीं पहुँच सका परिणाम बहुत भयंकर हुआ। इस समय संघ को चाहिए था कि उस भावनात्मक उबाल से जो कुछ मिला उस पर संतोष करके आगे की प्रतीक्षा करते किन्तु संघ ने भूल की और अटल जी को कभी ठीक से काम नहीं करने दिया। यह एक अच्छा अवसर था जब संघ विरोधी खमा कमजोर हुआ था संघ ने फिर भी मंदिर मुद्दों को हवा दिया। फटे हुये गुब्बारे के समान मन्दिर फिर खड़ा नहीं हो सका। मेरे विचार में अटल जी की सरकार बनते ही प्रवीण तोगडिया और सिंघल सरीखे लोगों के सारे अधिकार पांच वर्ष के लिये जप्त कर लेना चाहिए था। किन्तु युद्ध से सिपाहियों को शान्तिकाल में आगे करने के जो परिणाम होते हैं वही हुए और बना बनाया खेल बिगड़ गया।

प्रश्न उठता है कि इस्लाम के खतरे को समझते हुए संघ के मार्ग पर यदि हम सब मिल कर आगे बढ़ें तो दस समस्याओं का क्या होगा हिन्दू धर्मावलम्बियों के आचरण में इस्लाम की जो खामियों घुस जायेगी उसका क्या होगा। क्या भारत में ऐसी खतरनाक स्थिति आ चुकी है कि अब सब काम छोड़कर हमें जेहाद लिये उत्तर जाना चाहिये क्या ऐसा कोई मार्ग नहीं है कि हम अन्य दस समस्याओं के साथ साथ इस साम्प्रदायिकता से भी निपट सकें। क्या कोई ऐसा मार्ग नहीं है कि हम अपने हिन्दू संस्कारों की भी सुरक्षा कर लें और पहचान भी बना लें?

मेरे विचार में हैं। ऐसी निराशा कि कोई बात नहीं है कि हम इस पार या उस पार की स्थिति में आ गये हों हमें बैठकर और गंभीरता से विचार मंथन करना चाहिए और तब आगे सक्रिय होना चाहिए। अब तक हम हिन्दू धर्म सुरक्षा के नाम पर धर्म को खतरे में डालने का खतरनाक खेल खेल चुके हैं। हिन्दू धर्म को सुरक्षा तो निश्चित हुई नहीं उल्टे आतंकवाद, चरित्रपतन, भ्रष्टाचार, आर्थिक, असमानता, जालसाजी आदि समस्याओं में और वृद्धि होती गई कुल मिलाकर धर्म पर खतरा आ गया यदि चरित्र ही नहीं बचा तो कैसे बचेगा हिन्दू धर्म अतः हमें अपनी नीतियों में यू टर्न लेने की आवश्यकता है। मेरे विचार में संघ को अभी यह करना चाहिए

(क) यदि वह धर्म की रक्षा करना चाहता है तो 1. अपनी राजनैतिक महत्वाकांक्षा छोड़कर नई नीति बनानी चाहिये 2. प्रवीण तोगडिया और अशोक सिंघल जैसों के पद वापस करके उन्हें धर्म जागरण तक सीमित कर दें।

(3) स्वदेशी साबुन, स्वदेशी पेय जैसे अनावश्यक भावनात्मक मुद्दे वापस करके तथा स्वदेशी संवैधानिक शासन व्यवस्था का प्रारूप बनाकर उस पर ध्रुवीकरण करें।

(ख) यदि संघ धर्म रक्षा के स्थान पर हिन्दू धर्म रक्षा में सक्रिय होना चाहे तो वह

1. कांग्रेस और बो.जे.पी को नजदीक आने दें
2. इस्लाम के विरुद्ध अन्यो के साथ मैत्रीपूर्ण स्पर्धा रखें।
3. मंदिर मुद्दे को समाप्त करके समान नागरिक संहिता और धर्म परिवर्तन को नियंत्रण को मुद्दा बनावें

4. हिन्दू राष्ट्र जैसे घातक नारे बिल्कल छोड़ द।

मेरो इच्छा है कि अस्सी वर्षों के जीवन काल में संघ की नीतियां जितनी है हिन्दू जागरण में सफल हुई है। अब धुवीकरण हिन्दू और गैर हिन्दू का न होकर साम्प्रदायिक और गैर साम्प्रदायिक के बीच होना चाहिए संघ को या तो धर्म की सुरक्षा का नेतृत्व करना चाहिये अथवा हिन्दू धर्म पर अब दया करके उस नई राह चुनने का अवसर देना चाहिए। स्वामी दयानन्द के शिष्य इस संबंध में कोई निर्णायक पहल नहीं कर सके। किन्तु स्वामी जी के शिष्यों ने या आर्य समाज ने कहीं चौघराहट भी नहीं की है उनका कोई ऐसा कदम नहीं है। जिसने कोई नुकसान किया हो। स्वतंत्रता आन्दोलन में आर्य समाज की भूमिका अपेक्षित भी रही और प्रशंसनीय भी अब भी यदि कोई मार्ग निकला तो आर्य समाज उसमें पीछे नहीं रहेगा आर्य समाज अब भी मानता है कि यदि धर्म की चिन्ता छोड़कर हिन्दू धर्म को बचाने की चिन्ता हुई तो न धर्म बचेगा। न हिन्दू विषय बहुत गंभीर है और गंभीर विचार मंथन की आवश्यकता है।

13. अजुन दुबे वाराणसी उत्तर प्रदेश।

प्रश्न— ज्ञानतत्व पढता हूँ। आप कहें तो सर्वोदय के साथ जुड़कर अपने विचार व्यक्त करते हैं और कही आर्य समाज से जुड़कर। अंक तिरासी के पृष्ठ पंद्रह पर आपने स्वयं को आर्य समाज का प्रधान लिखा और अपने निष्कर्षों का आर्य समाज के दसवें नियम के साथ जोड़ा। आप स्पष्ट करे कि आप सर्वोदय और आर्य समाज दोनों में है या किसी एक में आपके विचार दोनों में से किसके अधिक निकट और प्रभावित है। आप भविष्य में सर्वोदय के साथ जुड़कर काम करना चाहते हैं। अथवा आर्य समाज के साथ जुड़कर?

14. श्री कृष्णदेव सिंह जी अधिवक्ता, मऊ, उत्तरप्रदेश

आप वाराणसी आये पर सूचना का अभाव में सम्पर्क नहीं हो सका। फरवरी माह में वेल्थरा रोड उत्तरप्रदेश में सर्वोदय मण्डल का सम्मेलन आयोजित कराने में व्यस्त हूँ। आपको भी आना ही है। तिथि की सूचना जायेगी।

ज्ञान तत्व अंक 85 पृष्ठ छब्बीस पर आपने लिखा कि आर्य समाज भी सक्रिय हो रहा है किन्तु मुझे तो कही भी आर्य समाज में कोई हलचल व्यवस्था परिवर्तन अथवा संविधान संशोधन के संबंध में नहीं दिखी। इसी तरह आपने सर्वोदय की बात की। सर्वोदय के लोग तो इस विचार से सहमत हैं वास्तव में तो संविधान संशोधन के ये तीनों सूत्र सर्वोदय के ही हैं। किन्तु मेरा अब तक का अनुभव यह है कि इनकी अधिकृत संस्था सर्व संघ सिर्फ योजना बनाने तक सीमित है और वह योजना भी हवाई और कागजी मात्र इनसे उम्मीद करना बेकार है।

उत्तर— मैं आर्य समाज से जुड़ा था और जुड़ा हूँ। मैं वर्तमान में भी रामानुजगंज आर्य समाज का प्रधान हूँ। रामानुजगंज में आर्य समाज के नेतृत्व में पन्द्रह वर्षों तक के अनुसंधान के बाद जो निष्कर्ष निकला वह आर्य समाज के दसवें नियम पर तो आधारित है ही महात्मागांधी का तो सम्पूर्ण चिन्तन का सार ही इस निष्कर्ष में समाहित है। हम राजनीति पर नियंत्रण के जिन तीन सूत्रों का लेकर जनमत जागरण की योजना पर काम कर रहे हैं वह पूरा का पूरा जय प्रकाश जी के निष्कर्षों का सार तत्व है। मेरे विचार में हमारे सोच में कुछ भी नया नहीं है। अतः मुझे सर्वोदय और आर्य समाज के इस सूत्र में कोई फर्क नहीं दिखता। किन्तु सर्वोदय और आर्य समाज इस कार्य के अतिरिक्त भी और हम कहें कि अतिरिक्त ही कार्यों में व्यस्त रहते हैं। उनमें मेरी कोई रूचि नहीं जब तक देश में ग्यारह समस्याएँ बढ़ रही हैं तथा उच्चश्रृंखल राजनीति पर कोई अंकुश नहीं लग रहा है भले ही उनमें कितना भी सार क्यों न छिपा हो। मैं सर्व सेवा संघ के सभी कार्यक्रमों में जाता हूँ। वे त्रिसूत्रीय संविधान संशोधन अभियान की उपयोगिता को खूब अच्छी तरह समझते हैं किन्तु अकेले इतना बड़ा आन्दोलन शुरू करने की सामर्थ्य करने की सामर्थ्य नहीं है और संघ परिवार से गांधी हत्या तथा जे.पी. आंदोलन की सफलता के बाद के व्यवहार के बाद दूध से दो बार जल जाने के बाद छाछ फुक फुक कर पीने की सर्तकता है। मैं पूरी तरह सहमत हूँ कि सर्व सेवा संघ सर्वोदय की विस्तार की अपेक्षा उसकी सुरक्षा की नीतियों पर चल रहा है जिसका परिणाम है क्षरण। वे कोई खतरा उठाने की स्थिति में अब नहीं हैं इसलिये किसी तरह यथा स्थिति बनाये रखने में प्रयत्नशील हैं। इस संबंध में आर्य समाज इलाहाबाद सहित लगभग पच्चीस आर्य समाजों ने मेरा भाषण कराकर सहमति व्यक्त की। अब यह हमारी कमजोरी है कि हम अब तक आगे की कोई योजना नहीं बना सके। सर्व सेवा संघ ने तो बाकायदा इस संबंध में प्रस्ताव भी पारित कर दिया है कि किन्तु इस संबंध में उनकी सक्रियता शून्य है क्योंकि अब तक आन्दोलन का मूड नहीं बन रहा है। फिर भी सर्वोदय के लोग इस योजना के कही आशा रखनी चाहिये न ही निराश होना चाहिए वे जो भी करेंगे वह लाभकारी ही होगा ठीक दिशा में ही होगा भले ही गति कितनी भी कम क्यों न हो।

जहाँ तक मेरा प्रश्न है तो मैं उन सबके साथ जुड़कर तथा जोड़कर काम करना चाहता हूँ जो राजनीति पर अंकुश और ग्यारह समस्याओं के समाधान की दिशा में कुछ सोचना और करना चाहते हैं चाहे वह संघ परिवार हो या सर्वोदय। मैंने सांप की गर्दन पकड़ने की योजना बनानी शुरू कर दी है। यदि अन्य लोग शराब बन्दी स्वदेशी वस्तु उपयोग हिन्दू संस्कृति संरक्षण खादी ग्राम स्वावलम्बन आदि के कार्य को प्राथमिकता दे रहे हैं तो यह उनका दोष नहीं बल्कि

हमारा ही दोष है कि हम उनको अब तक अपने कार्य की प्राथमिकताएँ ठीक से समझा नहीं पा रहे हैं। यदि हम और सक्रिय होकर अपनी प्राथमिकताएँ ठीक से समझा सके तो भले ही इन संगठनों के पदाधिकारियों के समझने में देर लगे किन्तु कार्यकता तो बहुत जल्दी समझ जायेगा।